न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—190/2016/223 (2016/00190)

1. रामकरण पुत्र स्व0 चतुर्भुज, जाति जांगिड़ ब्राह्मण, निवासी भैरूखेड़ा, तहसील नसीराबाद । (स्वर्गवास) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती प्रेम पत्नि स्व0 रामकरण,
   1/2— मनोज पुत्र स्व0 रामकरण,
   1/3— महेन्द्र पुत्र स्व0 रामकरण,
   1/3— श्रीमती शारदा पुत्री स्व0 रामकरण,
   समस्त जाति जांगिड़ ब्राहमण्, निवासी दाता नगर, अजमेर ।
2. रामलाल पुत्र स्व0 चतुर्भुज, जाति जांगिड़ ब्राहमण, निवासी भैरूखेड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. सोजीराम पुत्र स्व0 चतुर्भुज, जाति जांगिड़ ब्राहमण, निवासी भैरूखेड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. शिवराज पुत्र स्व0 चतुर्भुज, जाति जांगिड़ ब्राहमण, निवासी भैरूखेड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती बदाम पत्नि स्व0 चतुर्भुज, जाति जांगिड़ ब्राहम्ण, नि0 भैरूखेड़ा तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामदीन पुत्र स्व0 जवारा, जाति ढोली निवासी ग्राम पालड़ी, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर । (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— रूपा पुत्र स्व0 रामदीन,
   1/2— रूघनाथ पुत्र स्व0 रामदीन, ।
   1/3— भंवरी पुत्री स्व0 रामदीन,
   1/4— चंदा पुत्री स्व0 स्व0 रामदीन,
   1/5— गंगा पुत्री स्व0 रामदीन,
   1/6— राधा पुत्री स्व0 रामदीन,
   1/7— आयचुकी पुत्री स्व0 रामदीन,
   समस्त जाति ढोली, निवासी पालड़ी, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर ।
   1/8— श्रीमती गीता पत्नि स्व0 गोपाल पुत्रवधु स्व0 रामदीन,
   1/9— बिज्जु पुत्र स्व0 गोपाल पौत्र स्व0 रामदीन,
   1/10—मोन्टू पुत्र स्व0 गोपाल पौत्र स्व0 रामदीन,
   1/11—सुरेश पुत्र स्व0 गोपाल पौत्र स्व0 रामदीन,
   समस्त जाति ढोली, निवासी पॉवर हाउस की गली, श्मशान के पास, किशनगढ़ बाई पास, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. गंगाराम पुत्र स्व0 जवारा, जाति ढोली, निवासी पालड़ी, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
3. नौरती पुत्री स्व0 जवारा, जाति ढोली, निवासी पालड़ी, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक अधिकारी, कार्यालय तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिकी विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 25.4.2016 अंतर्गत वाद संख्या 159/2014.

उपस्थित:

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शशिकांत जोशी, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/7.
3. रेस्पो0 संख्या 1/8 से 1/11 एवं 2 व 3 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 व 5.

निर्णय

दिनांकः- 16.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.4.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं सपठित धारा 136 राज0भू-राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भैरूखेड़ा के चौसाला खसरा नबर 79 रकबा 0-11-00, खसरा नंबर 80 रकबा 0-4-00, खसरा नंबर 251 रकबा 1-4-10, खसरा नंबर 253 रकबा 0-8-0 के खातेदार गोकुल पुत्र किशना ढोली के वारिसान जीवण पुत्र गोकुल के द्वारा वादी संख्या 1 से 4 के पिता व वादी संख्या 5 के पति को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के बेचान कर कब्जा व दखल सौंप दिया था । उक्त विक्रय पत्र की पालना में आराजी मुतनाजा का अंकन केता के नाम करने के बजाय हाल खसरा नंबर 206 रकबा 0.12 है0, 454 रकंबा 0.13 है0, खसरा नंबर 454 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 455 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 458 रकबा 0.05 है0 त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता जवारा पुत्र मेताब के नाम दर्ज कर दी गई । उक्त आराजी पर वादीगण का क्रय दिनांक से कब्जा काश्त चला आ रहा है जिस पर मकान बने हुए है किन्तु प्रतिवादीगण वादीगण को बेउदखल करने पर आमादा है एवं अन्यंत्र हस्तातंरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.4.2016 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलाधीन भूमि जिसके चौसाला खसरा नंबर 79 रकबा 0-11-00, खसरा नंबर 80 रकबा 0-4-00, खसरा नंबर 251 रकबा 1-10-0, खसरा नंबर 253 रकबा 0-8-0 के खातेदार अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 के अनुसार जीवन पुत्र गोकल से अपीलांटस के पति व पिता चतुर्भुज पुत्र बालूराम से जरिये पंजीबद्ध बैनामा दिनांक 4.1.1971 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तथा क्रय दिनांक से ही चतुर्भुज का क्रयशुदा आराजियात पर पर भौतिक कब्जा एवं काश्त चला आ रहा था । चतुर्भुज के स्वर्गवास के पश्चात् अपीलांटस का कब्जा काश्त चला आ रहा है । क्रय दिनांक के पश्चात् अपीलांटस के पति एवं पिता के द्वारा क्रयशुदा भूमि के एक भाग पर एक पुख्ता पट्टी पोश कमरे का निर्माण करवाया गया तथा विद्युत कनेक्शन भी लगवाया गया है ।

अपीलाधीन भूमि से जवारा का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा ना ही कब्जा काश्त है । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 गोकुल पुत्र किशना के वारिस नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा वाद में तनकी कायम नहीं की तथा जवाब सरकार हेतु दिनांक 3.2.2016 को नियत थी । इसके पश्चात् आगामी दिनांक 10.2.2016, 9.3.2016 तथा 6.4.2016 नियत की गई । दिनांक 6.4.2016 को वादीगण को साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 20.4.2016 को नियत कर दी गई जबकि वादपत्र में विवाद बिन्दु कायम किये जाने के उपरांत एवं वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये जाने के बाद ही बहस सुनकर निर्णय पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया के विपरीत वाद को खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 एवं 5 के द्वारा कोई जवाबदावा ही प्रस्तुत नहीं किया गया । ऐसी स्थिति में वादपत्र के खण्डन नहीं किये जाने की स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य था । अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण का वाद निरस्त किये जाने का मुख्य आधार विक्रय पत्र धारा 42 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार प्रारंभ से शून्य है, के आधार पर खारिज किया है जबकि राजस्थान सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 27.5.1968 से पूर्व के विक्रय पत्र को वैध माना गया है । विधिनुसार वादी विवादित आराजियात के खातेदार हो चुके थे । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/7 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । रेस्पो0 अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा अनुसूचित जाति के सदस्य की आराजियात की खातेदारी गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को प्रदान नहीं की जा सकती है। तथाकथित विक्रय पत्र धारा 42 राज0काश्त0अधि0 का उल्लघंन होने से ऐसे विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांटस को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वादीगण का वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । अपीलांटस का कथन है कि ग्राम भैरूखेड़ा के चौसाला खसरा नंबर 79 रकबा 0–11–00, खसरा नंबर 80 रकबा 0–4–00, खसरा नंबर 251 रकबा 1–4–10, खसरा नंबर 253 रकबा 0–8–00 बीघा भूमि के खातेदार गोकुल पुत्र किशना ढोली थे, जिनके वारिसान जीवण पुत्र गोकुल से वादीगण संख्या 1 से 4 के पिता व वादी संख्या 5 के पति ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 15.2.1971 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया था किन्तु उक्त आराजियात का अंकन केता के नाम करने के बजाय हाल खसरा नंबर 206 रकबा 0.12 है0, खसरा नंबर 454 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 454 रकबा 0.13 है0, खसरा नंबर 455 रकबा 0.12 है0 एवं खसरा नंबर 458 रकबा 0.05 है0 भूमि त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता जवारा पुत्र मेताब के नाम दर्ज कर दी गई । अपीलांटस/वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित कथनों से स्पष्ट है कि अपीलांटस के पूर्वज के विक्रेता जीवण पुत्र गोकुल जाति से ढोली होकर अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा अपीलांटस/वादीगण जाति से ब्राहम्ण होकर गैर अनुसूचित जाति के सदस्य है । अनुसूचित जाति के सदस्य की आराजियात गैर अनुसूचित जाति के सदस्य को बैचान, हस्तातंरण आदि धारा 42 राज0काश्त0अधि0 1955 से बाधित है । अपीलांटस के स्वंय के कथनानुसार अपीलांटस के पूर्वज के पक्ष में जीवण पुत्र गोकुल द्वारा किया गया विक्रय पत्र धारा 42

राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रावधानों के तहत प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है तथा ऐसे अवैध एवं शून्य विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांटस/वादीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है । अपीलांटस के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र धारा 42 राज0काश्त0अधि0 का उल्लघंन होने से राजस्व अधिकारियों ने विवादित आराजियात विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांटस/क्रेता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादीगण का वाद निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.4.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर